

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक - ई-33/लै.टे./1149/2019/197

दिनांक : 02/04/19

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित जन्म तिथियों के आधार पर 60 वर्ष की अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख तिथियों से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से.नि.तिथि
1	श्री रामप्रताप रेग्बर वरि.लै.टे	अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	05.07.1959	31.07.2019
2	श्री शिवराम चौहान, वरि.लै.टे.	अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	15.07.1959	31.07.2019
3	श्री कोतवाल सिंह, लै.टे.	अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	25.10.1959	31.10.2019
4	श्री हर्ष कुमार शर्मा, वरि.लै.टे.	अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	08.11.1959	30.11.2019
5	श्री सत्यनारायण टेलर, वरि.लै.टे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिजोलिया (भीलवाड़ा)	25.12.1959	31.12.2019
6	श्री शफी मोहम्मद खां, वरि.लै.टे.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाँदीकुई (दौसा)	20.07.1959	31.07.2019
7	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, वरि.लै.टे.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर	17.08.1959	31.08.2019
8	श्री सुरेन्द्र सिंह, लै.टे.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय सा: चिकित्सालय, नवलगढ़, झुन्झुनू	14.06.1959	30.06.2019

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर


क्रमांक :- ई-33/लैटे/(1149)/2019/137

दिनांक 02/04/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जयपुर/अजमेर।
3. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा/झुन्झुनूं/दौसा।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर/जकाय सा0 चिकित्सालय नवलगढ, झुन्झुनूं।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभात, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिजोलिया (भीलवाडा)/बाँदाकुइ (दौसा)।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश/डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारीयो के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर